झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — द्वितीय (बजट) सत्र

संख्या-14 — सोमवार, दिनांक-23 मार्च, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.22 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह ने पूरे देश में कोरोना के कहर से पीड़ित आमजनों की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए सभी कार्यों को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करते हुए देश के अन्य हिस्सों मे फँसे झारखण्ड के मजदूरों को वापस लाने का अनुरोध किया।

इस क्रम मे माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने विभिन्न समाचार-पत्रों का हवाला देते हुए दिनांक-20.03.2020 को हुई एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की जाँच एवं मुआवजा दिये जाने हेतु आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया।

2.आसन से सूचना:-

आसन से निम्न घोषणा की गयी-

"विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण आज हमारे राज्य के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। पूरी व्यवस्था इसी खतरे के चलते लॉक डाउन की स्थिति मे है। ऐसी स्थिति में आज अभी तुरत मेरे कार्यालय कक्ष मे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी उक्त बैठक मे समिति के सभी माननीय सदस्य एवं श्री सरफराज अहमद, स०वि०स० भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप मे उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

सभा की कार्यवाही 02.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित की जाती है।"

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3.कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें:-

कार्यमंत्रणा समिति की आज दिनांक-23 मार्च, 2020 को सम्पन्न बैठक मे निम्न निर्णय लिये गये-

"आज दिनांक-23 मार्च, 2020 को भोजनावकाश के पश्चात् दूसरी पाली मे वित्तीय वर्ष-2020-21 के वार्षिक व्यय-विवरणी में शामिल अनुदानों की माँगो मे से दिनांक-23 एवं 24 मार्च, 2020 को ली जानेवाली अनुदानों की माँगो के अलावे शेष बचे अनुदानों की माँगे आज दिनांक-23 मार्च, 2020 को गिलोटिन पद्धति से सभा द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात्

क्र० पृ०उ०

वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक से सम्बन्धित विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण हो'', जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

4.वित्तीय कार्य:-

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष-2020-21 के वार्षिक व्यय-विवरणी मे शामिल अनुदानों की माँगों में से दिनांक-23 एवं 24 मार्च, 2020 को ली जानेवाली अनुदानों की माँगों के अलावे शेष बचे अनुदानों की माँगे गिलोटिन पद्धति से सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

5.विधायी कार्य:-

''झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2020''

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया ।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में सभा की अनुमति से विधेयक के खण्ड-2 एवं 3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से इस विधेयक के अंग बने तदुपरांत ''झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2020'' सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

6.अन्य नितान्त कार्य:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव रखा गया-

''झारखण्ड राज्य में वर्ष- 2010 के प्रपत्र में ही **NPR (National Population Register)** तैयार करने एवं **NRC (National Register of Citizens)** राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लागू नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है।'' जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सम्पूर्ण माननीय सदस्य विरोधस्वरूप सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

7.आसन से घोषणा:-

आसन से निम्न घोषणा की गयी-

''इस सत्र के लिए याचिका और गैर सरकारी संकल्प की प्राप्त सभी सूचनायें सम्बन्धित विभागों को लिखित उत्तर के लिए भेज दी जायेंगी। जिन स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सभा में सरकार का वक्तव्य नहीं हो सका उन्हें भी लिखित उत्तर के लिए सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जायेगा'' तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

दिनांक- 23 मार्च, 2020 ई०।